निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ 1946 (श0)

(सं0 पटना 521) पटना, मंगलवार, 18 जून 2024

सं० 08/आरोप–01–106/2014 सा0प्र0—8001
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
21 मई 2024

श्री सुशील कुमार मिश्र, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–315/23, (1014/11) तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया के विरूद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2301 दिनांक 04.08.2014 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए श्री मिश्र के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र में श्री मिश्र के विरूद्ध तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया के पदस्थापन काल में नगरपालिका अधिनियम, 2007 का उल्लंघन करने एवं महाबोधि मंदिर के 200 मीटर की परिधि के अन्दर अवैध निर्माण करने की स्वीकृति देने आदि संबंधी अनियमितता बरतने का गंभीर आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय पत्रांक 12356 दिनांक 04.09.2014 द्वारा श्री मिश्र से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री मिश्र से प्राप्त स्पष्टीकरण (दिनांक 28.11.2014) पर नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की माँग की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4167 दिनांक 01.08.2018 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ।

3. श्री मिश्र के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–10278 दिनांक 30.07.2019 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जांच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

4. जाँच आयुक्त–सह–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–04 दिनांक 12.01.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप सं०–01, 02, 07 एवं 09 को प्रमाणित, आरोप सं०–03, 04, 05, 08, 10, 12, 13 एवं 14 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप सं०–06, 11, 15 एवं 16 को प्रमाणित नहीं पाया गया है।

5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक–2116 दिनांक 05.02.2024 द्वारा श्री मिश्र से लिखित अभ्यावेदन/अभिकथन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री मिश्र का लिखित अभ्यावेदन/अभिकथन दिनांक 27.02.2024 प्राप्त हुआ। श्री मिश्र द्वारा अपने लिखित अभिकथन में उल्लेख किया गया है कि उनके स्तर से कहीं भी प्रशासनिक चूक या भूल नहीं हुई है, जैसा कि जाँच आयुक्त ने अंकित किया है। साथ ही, यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा वांछित कार्रवाई में किसी प्रकार की शिथिलता अथवा कोताही नहीं की

गयी है तथा किसी प्रकार की प्रशासनिक चूक नहीं बरती गयी है। अंततः श्री मिश्र द्वारा आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

6. श्री मिश्र के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री मिश्र द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मिश्र के विरूद्ध प्रतिवेदित कुल 16 आरोपों में से 12 आरोपों को प्रमाणित/आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है। साथ ही, यह भी पाया गया कि श्री मिश्र द्वारा नियमों का उल्लंघन कर, किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध न तो कार्रवाई किया गया और न ही स्वीकृत योजना में विचलन के संबंध में ससमय निरीक्षण किया गया, जबकि बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत भवन निर्माण/पुर्ननिर्माण की किसी भी अवस्था में, बिना नोटिस दिये निरीक्षण किये जाने की शक्ति नगरपालिका पदाधिकारी में निहित है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सुशील कुमार मिश्र, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–1014/11 तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया का लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इसे अस्वीकृत करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के संगत प्रावधानों के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित/संसूचित किया जाता है :–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष–2012–13)

(ii) दो (02) वेतनवृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उमेश प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 521-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in